बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः—................................/ पटना, दिनांकः—............................

03/उ०नि०/भवन निर्माण (जि० उ० के०)भोजपुर-02/10

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:— जिला उद्योग केन्द्र के सुदृढ़िकरण एवं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015—16 में जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) को ₹4,91,270 (चार लाख एकानवे हजार दो सौ सत्तर) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—**1593**, दिनांक—**28.03.2012** के क्रम में कहना है कि जिला उद्योग केन्द्र के सुदृढ़िकरण एवं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015—16 में जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) को **₹4,91,270 (चार लाख एकानवे हजार दो सौ सत्तर) मात्र** के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय नवनिर्मित जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) के कार्यालय के व्यवहारार्थ कुर्सी, टेबुल, आलमिरा एवं अन्य उपस्कर के क्रय हेतु किया जायेगा।

3. उक्त सामाग्री का क्रय उच्च गुणवत्ता एवं DGS&D दर पर की जायेगी।

4. उपस्करों का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के अनुशंसा के अलोक में की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2352—उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80—सामान्य, लघु शीर्ष 102—औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0163—व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचना का सृजन विकास एवं रखरखाव—बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड P2852801020163, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5434, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद से तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है

6. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करते हुये एकमुश्त अग्रिम के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) को उपलब्ध करायेगे।

7. राज्य योजना स्कीम कोड—IND-5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।

8. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, योजना के व्यय से संबंधित डी०सी० विपत्र समुचित जॉचोपरान्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले० ह०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराते उसकी प्रति उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें।

9. राशि की निकासी BTC-26 पर की जायेगी।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन **संचिका सं0**—*03/उ०नि०/भवन निर्माण(जि०उ०के०)भोजपुर—02/10* के **पृष्ट—48/टि0** पर दिनांक **17.03.2016** को प्राप्त है।

कृ०प०उ०....

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—*03/उ0नि0/भवन निर्माण(जि0उ0के0)भोजपुर—02/10* के पृष्ट—**50**/टि0 पर दिनांक **08.03.16** को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या—**84/OSD**, दिनांक **18.03.16** है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—8003 वि(2) दिनांक—13.09.2008 एवं निहित पत्रांक—2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—2938 वि(2), दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा। तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.98 की कंडिका—15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय पत्रांकः—7355/वि0(2), दिनांकः—05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/—
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................../ पटना, दिनांकः—..........................
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर—02/10
प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................../. पटना, दिनांकः—..........................
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर—02/10
प्रतिलिपिः—सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................../. पटना, दिनांकः—..........................
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर—02/10
प्रतिलिपिः—जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 1205 /. पटना, दिनांकः— 21.3.16
03/उ0नि0/भवन निर्माण (जि0 उ0 के0)भोजपुर—02/10
प्रतिलिपि—वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा—3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा—1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

18.3.16